झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1158 वर्ष 2017

1. गौरी शंकर मिश्रा

2. एस0 देवी

3. कुला नंद झा

4. कौशल्या देवी

5. शीतला महतो .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य अपने प्रधान सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, रांची के माध्यम से।

2. निदेशक, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

3. कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाइबासा।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता, श्री अपूर्वा सिंह, अधिवक्ता, श्री गौरव राज, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री श्रीजीत चौधरी, वरिष्ठ एस0सी0–III

06/05.12.2018 पक्षों को सुना।

2. याचिकाकर्तागण पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के तहत संशोधित वेतनमान पर याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 तक का पेंशन तय करने और साथ में उनके पेंशन के

बकाया राशि को जारी करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने क लिए एक ही प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आगे पांचवें वेतन पुनरीक्षण के तहत संशोधित वेतनमान पर याचिकाकर्ता संख्या 4 और 5 की पारिवारिक पेंशन तय करने और साथ में उनके पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि जारी करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है।

3. आरंभ में ही, याचियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार द्वारा यह निवेदन किया गया है कि इसी तरह का मुद्दा इस माननीय न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 1047/2017 (सुंदर तियू और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य) विचाराधीन था, जिसमें पक्षकारों के वकील को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने के बाद, इस माननीय न्यायालय ने कथित रिट याचिका का निपटारा दिनांक 23.08.2018 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ कर दियाः–

जैसी भी स्थिति हो, अभिलेखों के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी–विश्वविद्यालय ने पहले ही पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के तहत लाभ देने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले की सिफारिश की है, लेकिन उत्तरदाता–राज्य द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि दस्तावेज उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय तक नहीं पहुंचे हैं, तो उन्हें एतद्द्वारा याचिकाकर्ताओं के रिकॉर्ड मंगाने और पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के तहत लाभ प्रदान करने के लिए उनके मामलों पर विचार करने के लिए एक सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा कार्यवाही पूरा कर लिया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता पांचवें और छठे वेतन

पुनरीक्षण के तहत लाभ के हकदार पाए जाते हैं, तो उन्हें एक महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर इसका लाभ दिया जाएगा।

4. याचियों के विद्वान वकील आगे निवेदन करते हैं कि रत्नी उरांव और अन्य बनाम झारखंड राज्य (डब्ल्यू0पी0एस0 संख्या 7818/2012) के मामले में, पूरा लाभ उस मामले के याचिकाकर्ताओं को दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में, आज तक उनके कथित लाभों में भेदभाव किया गया है और इस प्रकार, प्रत्यर्थियों को वर्तमान याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करने के लिए एक निर्देश दिया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के सह–कर्मचारियों, रत्नी उरांव और अन्य के मामले में पहले ही पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ दिए जा चुके हैं।

5. दूसरी ओर, श्री श्रीजीत चौधरी, प्रत्यर्थी के तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण निवेदन करते हैं कि उन्हें याचियों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. चाहे जो भी हो, पक्षकारों के निवेदनों पर गौर करने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, इस न्यायालय का विचार है कि इस मामले में, शामिल मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं है और रत्नी उरांव (ऊपर) और सुंदर तियू एवं अन्य (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि कॉलेज पहले से ही विश्वविद्यालय को वर्तमान याचिकाकर्ताओं के मामलों की सिफारिश की, लेकन विश्वविद्यालय द्वारा कुछ भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि क्या विश्वविद्यालय ने राज्य को इसकी सिफारिश की थी या नहीं। ऐसी परिस्थितियों में, मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि विश्वविद्यालय को मामले की जांच करनी चाहिए और यदि

विश्वविद्यालय ने राज्य के समक्ष याचिकाकर्ताओं के मामलों की सिफारिश अभी तक नहीं किया है तो इस आदेश की प्राप्ति/उत्पादन की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सिफारश किया जाए। और आगे, इस आदेश की एक प्रति प्रत्यर्थी–राज्य को रत्नी उरांव (ऊपर) के मामले को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उस मामले के याचिकाकर्ताओं को भुगतान पहले ही किया जा चुका है, वर्तमान याचिकाकर्ताओं को स्वीकृत देय राशि का भुगतान करने के लिए चार सप्ताह के भीतर कॉलेज को धनराशि जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि विश्वविद्यालय ने पहले ही प्रत्यर्थी–राज्य के समक्ष वर्तमान याचियों के मामलों की सिफारिश की है, तो प्रत्यर्थी–राज्य को इस पर विचार करने और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर वर्तमान याचियों को पांचवें और छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभों का विस्तार करते हुए, कानून के अनुसार, एक सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

8. उपरोक्त संप्रेक्षणों और निर्देशों के अनुक्रम के रूप में, तत्काल रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

[(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0]